फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री लक्ष्मणलाल पिता श्री केसाराम सालवी निवासी बियाना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

पत्रावली संख्या 36/2018

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.11.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2018/749–50 दिनांक 10.09.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 11.07.2018 को प्राप्त हुआ । उक्त आवेदन पत्र में वर्णित वांछित बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी,सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक कमांकःप.1( )सू0अ0,05/2018/541 दिनांक 11.07.2018 को प्रेषित गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा जरिये पत्रांक 1005 दिनांक 23.07.2018 से अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई नकल के संबंध मे स्पष्ट नहीं हो रहा है प्रार्थी द्वारा कौन सी नकल चाही जा रही है। अतः आप स्पष्ट करे कि जांच की पत्रावली संख्या क्या है तथा	

कार्यालय के किस न्यायालय मे विचाराधीन है या किस अनुभाग में विचाराधीन है आदि का स्पष्ट अंकन करावें। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा कि रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी को इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1()राजस्व/सू.अ. 05/2017/603 दिनांक 25.07.2018 से पत्र प्रेषित किया गया किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने आरटीआई आवेदन पत्र कें बिन्दुओं के संबंध मे समयावधि एवं समयावधि पश्चात किसी प्रकार की पूर्ति नहीं कराई गई।

प्रार्थी को यथा समय रिपोर्ट अनुसार अपनी सूचना के लिये स्पष्ट विवरण अंकित करने हेतु लिखा गया किन्तु प्रार्थी द्वारा इस अनुभाग के द्वारा जारी पत्र पर समयावधि एवं समयावधि पश्चात किसी प्रकार की पूर्ति नहीं कराने से सूचना तक पहुॅच नहीं बनाई जा सकती है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा कि रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी को इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1()राजस्व/सू.अ. 05/2017/603 दिनांक 25.07.2018 से पत्र प्रेषित किया गया किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने आरटीआई आवेदन पत्र के बिन्दुओं के संबंध मे समयावधि एवं समयावधि पश्चात किसी प्रकार की पूर्ति नहीं कराई गई। जिसकी सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है।

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने आरटीआई आवेदन पत्र के बिन्दुओं के संबंध मे समयावधि एवं समयावधि पश्चात किसी प्रकार की पूर्ति नहीं करवायी जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अति0 कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर